अध्याय II

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में डीबीटी का कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1: क्या डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रिया की पुनर्रचना (री-इंजीनियरिंग) की गई जिससे मध्यस्थ स्तर, अभीष्ट लाभार्थियों को भुगतान में देरी और छीजत और दोहराव को कम किया जा सके

2.1 स्वीकृतियों के अनुमोदन के लिए समितियों का गठन

पेंशन नियमों के नियम 2 (उप नियम (vii) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और उप नियम (viii) शहरी क्षेत्रों के लिए) के अनुसार, आवेदनों की स्वीकृति के लिए समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है जैसा कि नीचे **तालिका 4** में दिया गया है:

तालिका 4: स्वीकृतियों के अनुमोदन के लिए समिति की संरचना

क्र.सं.	क्षेत्र	विवरण	पद
1.	**ग्रामीण**	उपखंड अधिकारी (उ.ख.अ.)/ उपखंड मजिस्ट्रेट (उ.ख.म.)	अध्यक्ष
		संबंधित खंड विकास अधिकारी (ख.वि.अ.)	सदस्य
		प्रधान/उप प्रधान/सम्बंधित पंचायत समिति सदस्य	सदस्य
2.	**शहरी**	उ.ख.अ./ उ.ख.म.	अध्यक्ष
		संबंधित निकाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मु.का.अ.)/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी (का.अ.)	सदस्य
		महापौर/उपमहापौर/सभापति/उप सभापति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड सदस्य	सदस्य

इसके अलावा, इन प्रावधानों को 04.04.2013 को संशोधित किया गया और नियम 2 (vii) और 2 (viii) के अन्तर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया:

- **ग्रामीण क्षेत्र:** आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृति समिति के कार्यवृत्त पर अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। अनुमोदन प्राप्त होने पर, खंड विकास अधिकारी आवेदकों के लिए स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। खंड विकास अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृतियों से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव किया जाएगा।

- **शहरी क्षेत्र:** आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृति समिति के कार्यवृत्त पर अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। अनुमोदन प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी आवेदकों के लिए स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। उपखंड अधिकारी द्वारा पेंशन की स्वीकृति से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव किया जाएगा।

छह चयनित जिलों[17] के 12 खण्डों[18] के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नौ खण्डों[19] में संबंधित खंड विकास अधिकारी/उपखंड अधिकारी द्वारा ऐसी समितियों के गठन के बिना पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किए जा रहे थे। शेष तीन खण्डों[20] में, लेखापरीक्षा ने पाया कि समितियों का गठन किया गया था और संबंधित खंड विकास अधिकारी/उपखंड अधिकारी समितियों से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर अपने हस्ताक्षर के साथ पीपीओ जारी कर रहे थे।

लेखापरीक्षा का मत है कि समिति की अनुपस्थिति में, पेंशन नियमों के अंतर्गत पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया में आवश्यक दृढ़ता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया से समझौता हुआ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि 02 अक्टूबर 2017 से राजएसएसपी पोर्टल पर स्वीकृति प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। वर्तमान में आवेदक अनिवार्य रूप से भामाशाह/जन-आधार के साथ पंजीकृत है। भामाशाह/ जन-आधार विवरण जो आवेदनों के प्रोसेसिंग के लिए जनाधार डेटाबेस से राजएसएसपी में प्राप्त किए जाते हैं, विधिवत रूप से सत्यापित हैं और इन समितियों की कोई प्रासंगिकता और उपयोगिता नहीं है और इसलिए नियमों में उपयुक्त संशोधन प्रस्तावित किया जाएगा। इसे राज्य सरकार द्वारा समापन परिचर्चा (सितंबर 2021) के दौरान दोहराया गया।

लेखापरीक्षा का मत है कि हालांकि सरकार ने समितियां जिनमें सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों दोनों की भागीदारी है, को हटाने का प्रस्ताव दिया है लेकिन वे पेंशन की मंजूरी से पहले जांच का एक अतिरिक्त स्तर प्रदान कर सकती हैं। ये समितियां पेंशन सत्यापन और स्वीकृति प्रक्रियाओं के समग्र कामकाज की निगरानी में भी उपयोगी हो सकती हैं।

2.2 आवेदनों की स्वीकृति

पेंशन नियमों के नियम 5 (v) के अनुसार पेंशन आवेदन का सत्यापन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा नियम 5 (vii) निर्धारित करता है कि स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को सत्यापन की तारीख से 15 दिनों के भीतर स्वीकृति प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसलिए प्रत्येक आवेदन को प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर निपटाया जाना आवश्यक है। उपरोक्त नियमों में जुलाई 2019 में संशोधन[21] किया गया और यदि संबंधित

[17] अजमेर, अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर और टोंक।

[18] उपखंड अधिकारी/उपखंड मजिस्ट्रेट अजमेर, अलवर, दौसा, सांभर, सीकर, टोंक और खंड विकास अधिकारी बानसूर, दांतारामगढ़, दुदू, किशनगढ़, लालसोट, मालपुरा।

[19] उपखंड अधिकारी अजमेर, दौसा, सांभर, सीकर, टोंक और खंड विकास अधिकारी बानसूर, दुदू, किशनगढ़, लालसोट।

[20] उपखंड अधिकारी अलवर, एवं खंड विकास अधिकारी, दांतारामगढ़ एवं मालपुरा।

[21] 01 जुलाई 2019 से प्रभावी।

अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्यवाही करने में विफल रहते हैं तो आवेदन को अगले चरण में स्वतः बढ़ाने का प्रावधान राजएसएसपी में किया गया (क्रमशः 30 और 15 दिन सत्यापन और स्वीकृति चरणों में)।

राजएसएसपी डेटा के विश्लेषण से यह देखा गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, सीएमओएएसपीएस के तहत प्राप्त कुल 22,54,725 आवेदनों में से 6,11,794 (27.13 प्रतिशत) और सीएमईएनएसपीएस के तहत प्राप्त कुल 3,23,578 आवेदनों में से 1,00,365 (31.02 प्रतिशत) आवेदन निर्धारित 45 दिनों के भीतर स्वीकृत नहीं किए गए थे। 12 चयनित खण्डों में, दो चयनित योजनाओं के 81,773 स्वीकृत आवेदनों में से 27,768 मामले (33.96 प्रतिशत) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विलम्बित थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि राजएसएसपी में स्वतः बढ़ाने के प्रावधान के बाद भी इनमें से 60,778 आवेदनों में देरी हुई थी।

राज्य सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2021) कि अब स्वतः सत्यापन एवं स्वतः स्वीकृति की सुविधा के कारण निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन लम्बित नहीं है। इसे सम्बंधित राजएसएसपी रिपोर्ट[22] के आधार पर लेखापरीक्षा (सितंबर 2021) द्वारा सत्यापित किया गया। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया (सितम्बर 2021) कि स्वीकृतियों के लिए डेटा-आधारित सत्यापन के आधार पर स्वतः अनुमोदन की सुविधा लागू की जाएगी जिसके लिए पेंशन नियमों में उपयुक्त संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

2.3 एकल नारी पेंशन की स्वीकृति

पेंशन नियमों के नियम 4 के अनुसार 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं जो राजस्थान की मूल निवासी हैं और राजस्थान में निवास करती हैं, पेंशन नियमों में वर्णित शर्तों को पूरा करने पर पेंशन पाने की पात्र हैं। उपरोक्त उद्देश्य के लिए "परित्यक्ता" का अर्थ है:

(क) समस्त वैध रूप से अलग हो चुकी महिलाये जिनके पास विवाह विच्छेद की डिक्री हो;

(ख) समस्त वैध रूप से अलग महिलाएं जिनके पास न्यायालय का आदेश हो;

(ग) ऐसी सभी महिलाएं, जिनके विवाह विच्छेद या दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के प्रकरण 5 साल से न्यायालय में लंबित हैं और उनके पास न्यायालय के दस्तावेज हैं;

[22] 01.08.2021 से 15.09.2021 की अवधि के लिए 'डिस्ट्रिक्ट वाइज किओस्क पेंशनर एप्लीकेशन स्टेटस' रिपोर्ट।

(घ) ऐसी सभी मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं जिनके तलाक काज़ी या धार्मिक प्राधिकारी द्वारा स्वयं के शपथ पत्र और दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर जारी किए गये हों।

सीएमईएनएसपीएस के राजएसएसपी डेटा डंप के विश्लेषण से पता चला कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान योजना के तहत 42,995 महिला लाभार्थियों (557-तलाकशुदा, 42,143-विधवा और 295-परित्यक्त्त) की पेंशन स्वीकृत की गई थी। स्वीकृत प्रकरणों की संवीक्षा से पता चला कि *''हजबेंड डाइवोर्स इश्यूइंग ऑथोरिटी''* (पति तलाक जारीकर्ता प्राधिकारी) के फील्ड/कॉलम में 9,602 प्रकरणों[23] (22.33 प्रतिशत) में अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि क्या इन लाभार्थियों को नियमों के तहत आवश्यक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के आधार पर पेंशन स्वीकृत की गई थी। इन मामलों में निर्धारित दस्तावेजों के अभाव में या अमान्य दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के आधार पर पेंशन भुगतान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। फील्ड स्टडी के दौरान देखे गए ऐसे ही एक प्रकरण की नीचे **प्रकरण अध्ययन 1** के रूप में चर्चा की गई है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि सीएमईएनएसपीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदक के सभी विवरण, वैवाहिक स्थिति सहित, राजएसएसपी पोर्टल पर जन-आधार डेटाबेस से प्राप्त किए जाते हैं। चूंकि जन-आधार से प्राप्त की जा रही जानकारी को पहले ही सत्यापित किया जा चुका है, इसलिए जानकारी को फिर से सत्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जन-आधार अधिनियम 2020 की धारा 7(3) निर्दिष्ट करती है कि जन-आधार कार्ड का उपयोग लोक कल्याणकारी लाभ/सेवाओं की प्राप्ति के लिए पते और पहचान के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। इसलिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन के समय लाभार्थियों की वैवाहिक स्थिति सहित बुनियादी जनसांख्यिकीय विवरण जन-आधार डेटाबेस से प्राप्त किए जाते हैं। तथापि यह सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है कि पेंशन की स्वीकृति के लिए अन्य आवश्यकताएं, जैसे वैवाहिक स्थिति के समर्थन में पेंशन नियमों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों, को पूरा किया गया है और संबंधित जानकारी राजएसएसपी पर प्रदान की गई है।

समापन परिचर्चा के दौरान राज्य सरकार (सितंबर 2021) ने इस अनुशंसा को स्वीकार किया कि पेंशन नियमों को जन-आधार के अनुरूप किया जा सकता है क्योंकि इसका उपयोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए सत्य के एकल स्रोत के रूप में किया जा रहा है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

[23] 2550 प्रकरणों में फील्ड खाली छोड़े गये और 7052 प्रकरणों में संख्यात्मक मान/ विशेष वर्ण भरे गये।

प्रकरण अध्ययन 1

टोंक जिले के शहरी खण्ड के लाभार्थी सर्वेक्षण (जनवरी 2021) के दौरान यह देखा गया कि सीएमईएनएसपीएस के तहत एक तलाकशुदा लाभार्थी (पीपीओ संख्या आरजे-एस-05112457) को पेंशन नियमों के तहत आवश्यक दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर काज़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के बजाय ₹ 100 के स्टांप पेपर पर नोटरीकृत तलाकनामे के आधार पर पेंशन स्वीकृत की गई थी। प्रकरण का आगे विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि इस मामले में जुलाई 2013 से पेंशन का भुगतान किया जा रहा था। प्रकरण संबंधित नगर परिषद द्वारा गलत सत्यापन को उजागर करता है क्योंकि वे निर्धारित दस्तावेज की कमी का पता लगाने में विफल रहे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी और प्रगति से अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

2.4 वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति

पेंशन नियमों के नियम 2 और 3 में सीएमओएएसपीएस के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आयु पात्रता मानदंड (58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष और 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं) दिये गये हैं। इसके अलावा, नियम 5 (iii) (ड़) उपरोक्त उन मामलों में जन्म तिथि निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रदान करता है जहां दस्तावेजों में केवल उम्र का उल्लेख किया गया हो जिसके अनुसार प्रत्येक पेंशनभोगी की जन्म तिथि सत्यापन प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजों के नीचे दिए गए वरीयता क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी:

(अ) स्कूल प्रमाण पत्र

(आ) नगर बोर्ड/नगर पालिका/नगर निगम, पंचायत द्वारा अनुरक्षित जन्म रजिस्टर/जन्म प्रमाण पत्र या

(इ) लोकसभा/विधानसभा/शहरी निकाय की नवीनतम मतदाता सूची, जिसमें आवेदक का नाम या उप-खण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा दिया गया आयु प्रमाण पत्र हो।

(ई) ग्रामीण क्षेत्र के लिए खण्ड उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और शहरी क्षेत्र के मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा दिया गया आयु प्रमाण पत्र।

(i) सीएमओएएसपीएस के राजएसएसपी डेटा के विश्लेषण से पता चला कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त और फिर स्वीकृत कुल 18,15,692 आवेदनों में से 818 मामलों[24] में,

[24] 426 पुरुष एवं 392 महिलाएं

पेंशनभोगियों ने पेंशन के लिए आवेदन की तिथि पर न्यूनतम आयु प्राप्त नहीं की थी। आगे यह भी देखा गया कि इन 818 मामलों में से 43 मामलों[25] (5.26 प्रतिशत) में आवेदकों ने स्वीकृति की तिथि तक भी न्यूनतम आयु प्राप्त नहीं की थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि आवेदन के समय आवेदक का विवरण जन-आधार पोर्टल से प्राप्त किया जाता है जिसके आधार पर आवेदक की पात्रता/अपात्रता को राजएसएसपी पर प्रदर्शित किया जाता है। पात्रता मानदंड पूरे नहीं होने की स्थिति में पोर्टल द्वारा आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाता है। अतः आवेदन के समय आवेदक की आयु पात्रता मानदंड के अनुसार थी, तथापि, पेंशनभोगी ने पेंशन की स्वीकृति के बाद जन-आधार पोर्टल पर अपनी आयु में संशोधन किया और स्वीकृति प्राधिकारी ने तदनुसार आयु में संशोधन किया।

यद्यपि विभाग ने आवेदनों की स्वीकृति के बाद लाभार्थियों द्वारा उम्र के संशोधन के दावे के समर्थन में विवरण/सूचना प्रदान नहीं की, पात्रता से संबंधित विवरण के संशोधन से संबंधित सभी मामलों को राजएसएसपी पोर्टल द्वारा, एक प्रासंगिक रिपोर्ट के साथ, विभाग द्वारा आगे की जांच के लिए चिह्नित किया जाना चाहिए था। जन-आधार विवरण में संशोधन के लिए दो स्तरों के सत्यापन की आवश्यकता होती है (***चार्ट 8***)। सत्यापन का दूसरा स्तर सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है। पेंशन आवेदन की स्वीकृति के बाद आवेदकों के द्वारा अपनी आयु में किये गये संशोधन के परिदृश्य में स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा इन मामलों की जांच करने की विफलता प्रणालीगत कमियों तथा उनकी ओर से हुई चूक को इंगित करती है।

(ii) सत्यापन/स्वीकृति में यथोचित परिश्रम की कमी के कारण भी पात्र लाभार्थियों को देय लाभों से वंचित किया गया। नगर पालिका जोबनेर, जयपुर (अक्टूबर 2020) में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पांच मामलों (***परिशिष्ट घ*** में विवरण) में, पेंशन स्वीकृत नहीं की गई क्योंकि आवेदकों ने आवश्यक न्यूनतम आयु प्राप्त नहीं की थी जैसा कि पटवारी द्वारा आवेदन पर नोट किया गया था। तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इन लाभार्थियों ने आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली थी।

इस प्रकार, पात्र लाभार्थी पेंशन के लाभों से वंचित रहे क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की उपेक्षा की गई। गौरतलब है कि इन मामलों में नियमों का उल्लंघन कर सत्यापन कार्यकारी अधिकारी की जगह पटवारी द्वारा कराया गया था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि गलती करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी और प्रगति से अवगत कराया

[25] 26 पुरुष एवं 17 महिलाएं

जाएगा । पेंशन नियमानुसार निर्धारित कार्यकारी अधिकारी के स्थान पर पटवारी द्वारा किये जा रहे सत्यापन पर राज्य सरकार का उत्तर मौन है ।

2.5 लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

पेंशन शुरू करने के लिए आवेदक की पात्रता स्थापित करने और जनसांख्यिकीय जानकारी को सत्यापित करने के लिए पेंशन नियमों के नियम 5 (iii) में पेंशन की स्वीकृति से पहले पेंशन आवेदनों के सत्यापन का प्रावधान है ।

इसके अलावा, पेंशन नियमों के नियम 12 के अनुसार पेंशन जारी रखने के लिए हर साल पेंशनभोगियों का सत्यापन किया जाना आवश्यक है । यदि भौतिक सत्यापन के अभाव में पात्र पेंशनभोगी की पेंशन रोकी जाती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा । इसके अतिरिक्त, जुलाई 2019[26] में लाभार्थियों के लिए आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल संख्या पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के माध्यम से वार्षिक सत्यापन करने की सुविधा जोड़ी गई । सत्यापन प्रक्रिया को और संशोधित[27] किया गया जिसके माध्यम से लाभार्थी अपना वार्षिक सत्यापन कई प्रक्रियाओं जैसे ई-मित्र किओस्क / राजीव गांधी सेवा केंद्र के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, हर साल नवंबर-दिसंबर के महीने में पेंशनभोगी द्वारा जन-आधार से जुड़ी हुई किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करते समय वन टाइम पासवर्ड या बायोमेट्रिक्स के प्रमाणीकरण इत्यादि के माध्यम से करवा सकते हैं ।

लेखापरीक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन की प्रणाली में निम्नानुसार कुछ अनियमितताएं देखी गईं:

(i) पेंशन नियमों में प्रावधान है कि पेंशन आवेदनों का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार और शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त द्वारा किया जाना है । तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सत्यापन वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारियों और शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था जो लाभार्थी दस्तावेजों की जांच के बाद सत्यापन टिप्पणी प्रदान करते हैं । फिर इन आवेदनों को तहसीलदार/कार्यकारी अधिकारी द्वारा उनकी अनुशंसा (पात्र/अपात्र) के साथ स्वीकृति प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाता है ।

राज्य सरकार ने निर्धारित अधिकारियों के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे सत्यापन के तथ्य (अगस्त 2021) को स्वीकार करते हुए यह कारण दिया कि अधीनस्थ कर्मचारी क्षेत्र के लोगों से अच्छी तरह परिचित हैं ।

---

[26] आदेश एफ09(05) (12-II)/एसएसपीआर/एसजेईडी/2014-15/7478-7598 दिनांक 24 जुलाई 2019 के द्वारा

[27] अधिसूचना एफ09(05)(12-II)/एसएसपीआर/एसजेईडी/2014-15/13679 दिनांक 18 दिसंबर 2019 के द्वारा

(ii) फील्ड स्टडी और लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि सात उपखंड अधिकारी/खंड विकास अधिकारी कार्यालयों और कोषाधिकारी अलवर (अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021) से संबंधित 32 मामलों[28] में लाभार्थियों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण वार्षिक सत्यापन में उन्हें 'जीवित' के रूप में सत्यापित किया गया और पेंशन का भुगतान जारी रखा गया। इसके परिणामस्वरूप इन मामलों में ₹ 6,25,250 का अनुचित भुगतान हुआ। इसके अलावा यह भी देखा गया कि इन 32 मामलों में से 19 मामलों[29] के छह मामलों में चार साल, आठ मामलों में तीन साल और पांच मामलों में दो साल तक लगातार लाभार्थियों को 'जीवित' घोषित किया गया था (विवरण ***परिशिष्ट ड़*** में दिया गया है)।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और सूचित किया (अगस्त 2021) कि संबंधित उपखंड अधिकारी /खंड विकास अधिकारी और कोषाधिकारी को स्वीकृति रद्द करने और भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की ब्याज सहित वसूली करने के लिए कहा गया है और त्रुटिपूर्ण वार्षिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

राज्य सरकार ने आगे सूचित किया (सितम्बर 2021) कि राजएसएसपी को *पहचान*[30] के साथ जन-आधार पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है जिसके कारण लाभार्थियों की मृत्यु की सूचना अब राजएसएसपी पर प्राप्त हो रही है। लेखापरीक्षा जांच (सितम्बर 2021) में पाया गया कि यह सुविधा परीक्षण के चरण में है।

(iii) उपखंड अधिकारी अलवर के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान पांच मामले[31] ऐसे देखे गए (अक्टूबर 2020) जहां लाभार्थियों को जीवित रहते हुए भी भौतिक सत्यापन के आधार पर मृत घोषित कर दिया गया था और उनकी पेंशन रोक दी गई थी। उपखंड अधिकारी अलवर ने बताया (अक्टूबर 2020) कि इन मामलों में पेंशन भुगतान शुरू कर दिया गया है। तथापि, राजएसएसपी पर उपलब्ध सूचना की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इन लाभार्थियों को ₹ 18,000 की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था (अगस्त 2021)। उपखंड अधिकारी अजमेर का ऐसा एक मामला **प्रकरण अध्ययन 2** में वर्णित है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि उपखंड अधिकारी अलवर को मामले की जांच करने और जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। लाभार्थियों को बकाया भुगतान के संबंध में शासन का उत्तर मौन था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

---

[28] 15 फील्ड स्टडी और 17 लाभार्थी सर्वेक्षण

[29] आठ फील्ड स्टडी और 11 लाभार्थी सर्वेक्षण

[30] राजस्थान के नागरिकों को जन्म, मृत्यु और विवाह के पंजीकरण की सुविधा के लिए राजस्थान सरकार की नागरिक पंजीकरण प्रणाली

[31] पीपीओ संख्या आरजे-एस-8707117, आरजे-एस-7822990, आरजे-एस-8639625, आरजे-एस-3465240, आरजे-एस-2958223

प्रकरण अध्ययन 2

उपखंड अधिकारी अजमेर, (अक्टूबर 2020) में अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वार्षिक भौतिक सत्यापन के दौरान एक सीएमओएएसपीएस लाभार्थी[32] को मृत घोषित कर दिया गया था और अप्रैल 2018 में उसकी पेंशन रोक दी गई थी। हालांकि, पेंशनभोगी जीवित था और अपनी पेंशन की बहाली के लिए बार-बार अनुरोध कर रहा था जो कि विभाग द्वारा अंततः नवंबर 2020 में अप्रैल 2020 से लागू करते हुए बहाल कर दी गई थी। हालांकि, लाभार्थी को मई 2018 से मार्च 2020 की अवधि के लिए ₹11,500 की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया (जुलाई 2021)।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और सूचित किया (अगस्त 2021) कि बकाया राशि का भुगतान अगस्त 2021 में किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने सत्यापित किया (सितंबर 2021) कि बकाया भुगतान अगस्त 2021 में कर दिया गया था।

(iv) नगर परिषद, दौसा में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 14 मामलों[33] में, लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन के दौरान सत्यापन प्राधिकारी द्वारा 'अपात्र' के रूप में चिह्नित किया गया था। परन्तु, राजएसएसपी पर इन लाभार्थियों की वस्तुस्थिति से पता चला (जुलाई 2021) कि इन पेंशनभोगियों को सत्यापित के रूप में चिह्नित किया गया है और सत्यापन टिप्पणियों की उपेक्षा करते हुए इन लाभार्थियों को नियमित पेंशन का भुगतान किया जा रहा था।

राज्य सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2021) कि कोविड-19 के कारण पेंशनभोगियों के सत्यापन की समय-सीमा शुरू में 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई थी और बाद में इसे अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सत्यापन की समय सीमा बढ़ाने से पहले ही इन मामलों का सत्यापन किया गया था जिसके कारण इन मामलों को राजएसएसपी पर सत्यापित प्रदर्शित किया गया था।

(v) दांतारामगढ़ खण्ड के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया (जनवरी 2021) कि दो लाभार्थियों[34] के आवेदनों में पटवारी द्वारा सत्यापन टिप्पणी *'पुत्र सरकारी नौकरी में'* थी। इसलिए नियमों के अनुसार, इन आवेदनों को स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जाना

[32] पीपीओ संख्या आरजे-एस-07223785

[33] पीपीओ संख्या आरजे-एस-09124340, 09124408, 09354188, 09529022, 09529173, 09617517, 09617610, 09622848, 09921609, 09274761, 09275253, 08576211, 08576226 एवं 09352817.

[34] पीपीओ संख्या आरजे-एस-08350782, 08512471

आवश्यक था। हालाँकि, स्वीकृति प्राधिकारी सत्यापन टिप्पणियों को ध्यान में रखने में विफल रहे और पेंशन को मानदंडों का उल्लंघन कर स्वीकृत किया गया जिसके कारण मई 2018 से जुलाई 2020 की अवधि के लिए ₹ 35,500 की राशि का भुगतान किया गया।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि खंड विकास अधिकारी दांतारामगढ़ को लाभार्थियों से ब्याज सहित राशि की वसूली करने के लिए कहा गया है, दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी और प्रगति से अवगत कराया जाएगा। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया (सितम्बर 2021) कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के डेटाबेस को जन-आधार पोर्टल से जोड़ा गया है जिसके माध्यम से अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। तथापि, इस दावे के समर्थन में प्रतिवेदन/सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई है (दिसम्बर 2021)।

ये मामले विभाग द्वारा लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली में आवश्यक दृढ़ता की कमी की ओर इशारा करते हैं।

इसके अलावा, वार्षिक सत्यापन की प्रणाली केवल पेंशन जारी रखने के लिए लाभार्थी के जीवित होने का प्रमाण प्रदान करती है। विभाग में लाभार्थियों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवधिक समीक्षा के लिए एक तंत्र का अभाव है क्योंकि कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पेंशन की स्वीकृति के बाद लाभार्थी पुत्र/पति/पत्नी को रोजगार, वार्षिक आय में वृद्धि, पुनर्विवाह आदि कारकों के कारण योजनाओं के लिए पात्र न रहे। ऐसी व्यवस्था के अभाव में विभाग यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि पेंशन का भुगतान पात्र लाभार्थियों को ही किया जा रहा है। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए दो प्रासंगिक उदाहरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

(vi) उपखंड अधिकारी, दौसा में लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि लाभार्थी[35] का पुत्र राजस्थान सरकार के एक उपक्रम में कार्यरत था। अतः लाभार्थी पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन पाने के लिए अपात्र था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि उपखंड अधिकारी, दौसा को लाभार्थी से ब्याज सहित राशि की वसूली करने के लिए कहा गया है और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

(vii) उपखंड अधिकारी, टोंक (जनवरी 2021) में लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि एक विधवा पेंशनभोगी[36] ने दिसंबर 2015 में पुनर्विवाह किया। तथापि, पुनर्विवाह के बाद भी उसे चार साल तक विधवा पेंशन मिलती रही।

[35] पीपीओ संख्या आरजे-एस-07596693

[36] पीपीओ संख्या आरजे-एस-02439480

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि उपखंड अधिकारी, टोंक को लाभार्थी से ब्याज सहित राशि की वसूली करने के लिए कहा गया है तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

इन दोनों मामलों में, वार्षिक सत्यापन यह पता लगाने में विफल रहा कि लाभार्थी अब पेंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं थे । चूंकि लेखापरीक्षा द्वारा लाभार्थी सर्वेक्षण सीमित पैमाने पर किया गया था, इसलिए राज्य में व्यापक स्तर पर ऐसे मामले होने से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

लाभार्थियों की पात्रता की आवधिक समीक्षा से विभाग को ऐसे मामलों को हटाने में मदद मिलेगी जहां पेंशन की स्वीकृति के बाद लाभार्थी अब पात्र नहीं हैं और विभाग को गलत सत्यापन और पेंशन स्वीकृति के मामलों (जैसा कि ऊपर सूचीबद्ध उदाहरणों में दिखाया गया है) की पहचान करने में भी सहायता मिलेगी । इसके अतिरिक्त, यह प्रणाली विभाग को लाभार्थियों को होने वाली समस्याओं जैसे कि भुगतान में देरी (पैरा 4.1 में दर्शाया गया), पेंशन का रुकना (पैरा 4.3 में दर्शाया गया) आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा लाभार्थियों को होने वाली समस्याओं के निवारण करने के लिए त्वरित कार्यवाही करने में सक्षम कर सकती है ।

2.6 स्वतः स्वीकृत आवेदनों की पश्च-लेखापरीक्षा

2 जुलाई 2019 को संशोधित पेंशन नियमों के अध्याय-4 के नियम 5 के अनुसार, यदि किसी आवेदन का सत्यापन/स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा क्रमशः 30/15 दिनों की निर्धारित समयावधि के भीतर निपटारा नहीं किया गया, तो इसे पेंशन प्रक्रिया के अगले चरण में स्वतः बढ़ाया और अग्रेषित किया जाएगा । भुगतान के लिए कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को भेजे गए स्वतः स्वीकृत आवेदनों को राजएसएसपी की एक अलग रिपोर्ट में कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को प्रदर्शित किया जाता है । स्वीकृति प्राधिकारी के स्तर पर उन मामलों की पश्च-लेखापरीक्षा के लिए स्वीकृति प्राधिकारी को 60 दिनों का समय दिया जाता है जिसमें स्वतः सत्यापित/स्वीकृत आवेदनों के आधार पर पेंशन का भुगतान किया गया था । लेखापरीक्षा के बाद यदि कोई आवेदन जो स्वतः स्वीकृत/सत्यापित किया गया था, गलत/अनियमित पाया जाता है, तो अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जा सकती है और ऐसे लाभार्थियों से गलत/अनियमित भुगतान की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की जा सकती है ।

उपखंड अधिकारी सीकर (दिसंबर 2020) के कोषाधिकारी द्वारा प्रदान की गई राजएसएसपी रिपोर्टों[37] की समीक्षा से पता चला कि 341 स्वत-स्वीकृत मामलों में से 35 मामलों (10.26 प्रतिशत) में पेंशन स्वतः स्वीकृत की गई थी लेकिन पश्च-लेखापरीक्षा का कार्य 60 दिनों के भीतर नहीं किया गया था जैसा कि नियमों में निर्धारित है (***परिशिष्ट च***)।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और सूचित किया (अगस्त 2021) कि उपखंड अधिकारी सीकर को पश्च-लेखापरीक्षा के दौरान अपात्र पाए गए लाभार्थियों से ब्याज सहित राशि की वसूली करने के लिए कहा गया है और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित

[37] राजएसएसपी की 'स्टेटस ऑफ़ ऑटो वेरीफाई ओर सैंकशंड एप्लीकेशन' रिपोर्ट

कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि पूरे राजस्थान में पश्च-लेखापरीक्षा के लिए 10,046 स्वतः स्वीकृत मामले लंबित थे, जिसके लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए थे।

इसके अलावा, चयनित खण्डों के कोषाधिकारी द्वारा प्रदान की गई राजएसएसपी रिपोर्टों (अक्टूबर से दिसंबर 2020) की जांच से पता चला कि स्वतः स्वीकृत मामलों की पश्च-लेखापरीक्षा के दौरान, विभाग ने 178 मामलों[38] से संबंधित ₹ 4,00,500 की राशि की पहचान की (**विवरण *परिशिष्ट छ* में**) जहां स्वतः सत्यापन एवं स्वीकृति के कारण लाभार्थियों को गलत तरीके से पेंशन का भुगतान किया गया एवं वसूली लंबित थी। तथापि, विभाग ने पेंशन नियमों के अनुसार अपात्र आवेदकों को पेंशन के अनियमित/गलत भुगतान की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि संबंधित स्वीकृति प्राधिकारियों को अपात्र लाभार्थियों से ब्याज सहित अतिरिक्त राशि की वसूली करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार ने यह भी बताया (सितंबर 2021) कि सभी जिला कलेक्टरों को 60 दिनों के भीतर स्वीकृति अधिकारियों द्वारा पश्च-लेखापरीक्षा किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

2.7 लाभार्थियों को भुगतान की गई पेंशन की दरें

28 फरवरी 2019 को लागू संशोधित पेंशन नियमों के नियम 2(iv) के अनुसार विभिन्न आयु वर्गों के लिए पेंशन की दरें नीचे दी गई हैं:

तालिका 5: सीएमओएएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस के तहत पेंशन की दरें

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	लाभार्थी की श्रेणी (आयु)	सीएमओएएसपीएस	सीएमईएनएसपीएस
1	18 से 55 वर्ष	-	500
2	55 से 60 वर्ष	750	750
3	60 से 74 वर्ष	750	1000
4	75 वर्ष एवं ऊपर	1000	1500

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, '60 से 74 वर्ष' और '75 वर्ष और उससे अधिक' की श्रेणियों के लिए पेंशन की तुलनात्मक दरें सीएमईएनएसपीएस की तुलना में सीएमओएएसपीएस में कम हैं। विभाग के आदेश दिनांक 21 मई 2018 के अनुसार, 'विधवा' के रूप में वैवाहिक स्थिति वाले पात्र सीएमओएएसपीएस के लाभार्थियों को बढ़ी हुई दरों पर पेंशन प्राप्त करने के लिए स्वतः रूप से सीएमईएनएसपीएस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

[38] उपखंड अधिकारी अलवर (64), दौसा (10), सांभर (7), सीकर (32), टोंक (5) और खंड विकास अधिकारी बानसूर (20), दांतारामगढ़ (2), किशनगढ़ (11), लालसोट (27)

राजएसएसपी डेटा के विश्लेषण से पता चला कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सीएमओएएसपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने वाली 13,367 महिला लाभार्थियों (8,722 आयु वर्ग '60-74' वर्ष से संबंधित और 4,645 '75 वर्ष और उससे अधिक' की श्रेणी से संबंधित) की वैवाहिक स्थिति को 'विधवा' के रूप में दर्शाया गया था। तथापि, विभाग ने इन लाभार्थियों को सीएमईएनएसपीएस में स्थानांतरित नहीं किया जिसके कारण इन लाभार्थियों को कम दरों पर पेंशन मिल रही थी।

इसके अलावा, डेटा विश्लेषण से यह भी पता चला कि सीएमओएएसपीएस की 491 ऐसी महिला लाभार्थी थीं जिनकी वैवाहिक स्थिति *'परित्यक्ता'* और *'तलाकशुदा'* थी, जिन्हें बढ़ी हुई दरों पर पेंशन प्राप्त करने के लिए 'विधवा' वैवाहिक स्थिति वाले लाभार्थियों की तरह सीएमईएनएसपीएस में स्थानांतरित किया जा सकता था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि लाभार्थियों की श्रेणी बदलने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

समापन परिचर्चा के दौरान, राज्य सरकार ने कहा (सितंबर 2021) कि 'विधवा' लाभार्थियों के मामलों में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी और 'परित्यक्ता' और 'तलाकशुदा' लाभार्थियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया (सितम्बर 2021) कि विभाग ने सीएमओएएसपीएस की 'विधवा' पेंशनभोगियों को सीएमईएनएसपीएस में स्थानांतरित करने के संबंध में एनआईसी को पत्र[39] लिखा है। हालांकि, सा.न्या.एवं अधि.वि. से एनआईसी को लिखे पत्र में सीएमओएएसपीएस की 'विधवा' पेंशनरों को सीएमईएनएसपीएस में स्थानांतरित करने का उल्लेख है और इसमें सीएमओएएसपीएस के 'परित्यक्ता' और 'तलाकशुदा' लाभार्थियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

2.8 भामाशाह/जन-आधार/आधार संख्या का विवरण

7 जून 2017 को संशोधित पेंशन नियमों के नियम 5 (i) के अनुसार, पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदकों को भामाशाह संख्या/नामांकन संख्या और आधार संख्या/नामांकन संख्या प्रदान करना आवश्यक था। 10 जून 2020 को नियमों में किये गये संशोधन ने भामाशाह संख्या/ नामांकन संख्या को जन-आधार संख्या/नामांकन संख्या से प्रतिस्थापित किया।

राजएसएसपी डेटा के विश्लेषण से पता चला कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभाग द्वारा सीएमओएएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस के लिए स्वीकृत 20,81,656 आवेदनों में से 1016 पेंशन मामले (0.05 प्रतिशत) विशिष्ट आईडी के बिना स्वीकृत किए गए थे। इसके अलावा, इन 1016 मामलों में से 513 में पेंशन आवेदनों को 7 जून 2017 से 10 जनवरी 2018 के दौरान

[39] पत्र दिनांक 13 सितम्बर 2021

संसाधित और स्वीकृत किया गया था। 10 जनवरी 2018 के बाद संसाधित और स्वीकृत सभी पेंशन आवेदनों में विशिष्ट आईडी थे।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इन 1016 मामलों में से चार मामले ऐसे थे जिनमें एक ही लाभार्थी के लिए दो पीपीओ जारी किए गए थे और इस प्रकार इन लाभार्थियों को दोहरी पेंशन मिल रही थी। इन लाभार्थियों का एक पीपीओ विशिष्ट आईडी से जुड़ा था और दूसरा पीपीओ बिना विशिष्ट आईडी के था। विवरण ***परिशिष्ट ज*** में दिया गया है।

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान पाए गए विशिष्ट आईडी के अभाव में पेंशन के दोहरे भुगतान के ऐसे तीन उदाहरण **प्रकरण अध्ययन 3** में वर्णित हैं।

प्रकरण अध्ययन 3

किशनगढ़ खण्ड (अजमेर) की ग्राम पंचायत रूपनगढ़ में मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया (फरवरी 2021) कि तीन मामलों में, लाभार्थियों को ₹ 1,89,000 की राशि का दोहरा पेंशन भुगतान[40] किया गया था (***परिशिष्ट झ***)। इन लाभार्थियों को एक पेंशन उनके बैंक खाते में और दूसरी पेंशन मनीआर्डर के माध्यम से प्राप्त हो रही थी। आगे जाँच से पता चला कि इन मामलों में विभाग ने लाभार्थियों को दोहरे पीपीओ, एक पीपीओ जन-आधार/आधार संख्या सहित और दूसरा पीपीओ जन-आधार/आधार संख्या रहित, जारी किये थे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि संबंधित खंड विकास अधिकारी को मनीआर्डर के माध्यम से किए जा रहे दोहरे भुगतान को रोकने और संबंधित लाभार्थियों से ब्याज सहित भुगतान की गई राशि की वसूली करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर में यह भी कहा गया कि गलती करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी और प्रगति से अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि विभाग ने सभी पीपीओ को जन-आधार/आधार के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ना सुनिश्चित किया होता तो इन मामलों को रोका जा सकता था।

आगे, 12 चयनित खण्डों की राजएसएसपी रिपोर्टों की जांच के दौरान यह देखा गया कि दोनों योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले 2,66,119 लाभार्थियों में से 607 मामले ऐसे थे जहां

[40] अप्रैल 2016 से जुलाई 2020 तक की गणना के रूप में पेंशन भुगतान रिपोर्ट, ओएपी 7 में भुगतान की जानकारी अप्रैल 2016 से पहले की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं थी। पीपीओ में उल्लिखित स्वीकृति तिथियों (***परिशिष्ट झ***) के आधार पर इन लाभार्थियों को अप्रैल 2016 से पहले भी दोहरी पेंशन भुगतान की प्रबल संभावना है।

भामाशाह/जन-आधार/आधार संख्या के बिना भी पेंशन भुगतान किया जा रहा था (विवरण ***परिशिष्ट ञ*** में)।

पीपीओ से विशिष्ट आईडी के जुड़ने के अभाव में लाभार्थियों के दोहराव और पेंशन के दोहरे भुगतान की घटनाओं को रोकना मुश्किल हो जाता है । यद्यपि भामाशाह/आधार संख्या के बिना लाभार्थियों की सूची से सम्बंधित रिपोर्ट[41] राजएसएसपी पर उपलब्ध है, विभाग इस सूचना के उपयोग द्वारा उपयुक्त हस्तक्षेप करने में विफल रहा ताकि इन लाभार्थियों को विशिष्ट आईडी प्राप्त करने के साथ-साथ सभी पीपीओ को प्राथमिकता के साथ विशिष्ट आईडी से जोड़ने में सहायता मिलती ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और सूचित किया (जुलाई 2021) कि आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के अनुसार, केंद्र/राज्य सरकार आधार की कमी के कारण किसी व्यक्ति को किसी भी सेवा/लाभ से वंचित नहीं कर सकती है । उत्तर उचित नहीं है क्योंकि पेंशन नियमों[42] के नियम 5 में स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि आवेदक को आवेदन के समय अनिवार्य रूप से अपना भामाशाह/जन-आधार/आधार संख्या[43] देनी होगी, जिसके अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा । ऐसी निर्धारित विशिष्ट आईडी के अभाव के कारण दोहरे पेंशन भुगतान के मामले सामने आए हैं । सरकार ने आगे कहा (अगस्त 2021) कि दोहरे पेंशन भुगतान के मामलों में, संबंधित स्वीकृति अधिकारियों को ब्याज सहित भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए निर्देशित किया गया है और जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भी उचित कार्यवाही की जाएगी ।

समापन परिचर्चा के दौरान राज्य सरकार ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि लगभग 5 प्रतिशत लाभार्थी ऐसे थे जिनकी विशिष्ट आईडी उनके पीपीओ से जुड़ी नहीं थी और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । राज्य सरकार ने आगे सूचित किया (सितम्बर 2021) कि विभाग जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर रहा है कि वार्षिक भौतिक सत्यापन के दौरान बिना जन-आधार के लाभार्थियों और दोहरी पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

2.9 लाभार्थी की मृत्यु के मामलों में डेटा का अद्यतन

पेंशन नियमों के नियम 9(1) के अनुसार पेंशनभोगी की मृत्यु के दिन पेंशन बंद हो जाती है । उक्त नियम 13 में प्रावधान है कि लाभार्थी की मृत्यु के मामले में, पटवारी/ग्राम सेवक/स्थानीय

[41] राजएसएसपी की "ब्लाकवाइज ब्लेंक भामाशाह ओर आधार नंबर" रिपोर्ट

[42] 07 जून 2017 को संशोधित

[43] या भामाशाह/जन-आधार/आधार की नामांकन संख्या

निकाय या डाकघर/बैंक के नामित प्राधिकारी पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी[44] को सूचना भेजेंगे । सूचना प्राप्त होने पर, स्वीकृति प्राधिकारी पेंशन रोकने के लिए राजएसएसपी के माध्यम से मृत्यु के संबंध में सूचना आहरण एवं संवितरण अधिकारी को भेजेगा ।

राजएसएसपी डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 13 जनवरी 2021 को वसूली के 3605 मामलों में से 2447 (67.88 प्रतिशत) में कारण *"मृत्यु"* के रूप में उल्लेखित किया गया था । लेखापरीक्षा ने देखा कि वास्तविकता में विभाग पेंशन तभी रोकता है जब लाभार्थियों के परिवार के सदस्य मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृत्यु के बारे में संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी को सूचित करते हैं या वार्षिक सत्यापन के पश्चात विभाग द्वारा अतिरिक्त भुगतान की वसूली उस बैंक खाते से की जाती है जिसमें पेंशन भुगतान किया जा रहा था ।

विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2021) कि भारत के महापंजीयक/स्थानीय निकाय/अस्पताल/शमशान आदि से पेंशनभोगियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र नहीं है और लाभार्थी की मृत्यु के बाद पेंशनभोगियों के वार्षिक भौतिक सत्यापन के दौरान ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर या पेंशनभोगियों के रिश्तेदारों द्वारा सूचित किए जाने पर पेंशन रोक दी जाती है ।

जबकि पेंशन नियमों द्वारा परिकल्पित तंत्र गैर-कार्यात्मक है, यह भी उल्लेखनीय है कि पेंशन नियम ऐसे संस्थानों से स्वीकृति प्राधिकारी को एवं स्वीकृति प्राधिकारी से आहरण एवं संवितरण अधिकारी को लाभार्थी की मृत्यु के संबंध में पेंशन रोकने के लिए सूचना के प्रवाह के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं । इसके अलावा, अस्पतालों/दाहगृहों/शमशानों आदि से स्वीकृति प्राधिकारी को ऐसी जानकारी के प्रवाह के लिए कोई तंत्र निर्धारित नहीं किया गया है जिससे ऐसी जानकारी नियमित और व्यवस्थित तरीके से विभाग को उपलब्ध कराई जा सके ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और सूचित किया (अगस्त 2021) कि राजएसएसपी को जन-आधार और पहचान पोर्टल से इस तरह जोड़ा जा रहा है कि लाभार्थी की मृत्यु की सूचना राजएसएसपी पर तुरंत अद्यतन हो जाये और ऐसे लाभार्थियों को पेंशन भुगतान रोक दिया जावे । राज्य सरकार ने आगे सूचित किया (सितम्बर 2021) कि राजएसएसपी को *पहचान* के साथ जन-आधार पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है जिसके कारण लाभार्थियों की मृत्यु की सूचना अब राजएसएसपी पर प्राप्त हो रही है । लेखापरीक्षा जांच (सितम्बर 2021) से पता चला कि राजएसएसपी के साथ लिंकिंग परीक्षण चरण में है । इस संबंध में आगे की प्रगति की सूचना मांगे जाने पर भी नहीं दी गई (दिसंबर 2021)।

[44] 10 जून 2020 तक संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को रिपोर्ट भेजना आवश्यक था

2.10 राजएसएसपी के प्रणालीगत मुद्दे

2.10.1 मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय परिपत्र सं. 20(7)/2017-सीएलइएस दिनांक 11/4/2018 ने मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिए सुरक्षित साइबर वातावरण हेतु सर्वोत्तम प्रथाएं जारी की। साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुझाई गई प्रथाओं में से एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) था। एमएफए जो कुछ भी सुरक्षित किया जा रहा है उसे एक्सेस करने के लिये उपयोगकर्ता से दो या दो से अधिक प्रकार की सूचनाओं के संयोजन द्वारा साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करता है जोकि पासवर्ड या व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) या उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन पर भेजा गया कोड या फिंगरप्रिंट हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राजएसएसपी के माध्यम से पेंशन प्रोसेसिंग और भुगतान की पूरी प्रक्रिया में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2एफए) का उपयोग केवल स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के स्तर पर किया जा रहा था। यह पाया गया कि सत्यापन प्राधिकारी और भुगतान प्राधिकारी (आहरण एवं संवितरण अधिकारी)[45] के मामले में, सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (केवल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड) का उपयोग किया जा रहा था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि आवेदन की स्वीकृति पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण है और 2एफए स्वीकृति स्तर पर उपलब्ध है। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि केंद्रीकृत भुगतान प्रोसेसिंग के लिए एकल आहरण एवं संवितरण अधिकारी प्रणाली[46] के लागू होने के बाद अब 2एफए आवश्यक नहीं है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित संशोधित पेंशन नियमों में स्वतः सत्यापन, स्वतः जाँच एवं स्वतः स्वीकृति के प्रावधानों के मद्देनज़र 2एफए की जरुरत न होने पर पुनः बल दिया (सितम्बर 2021)।

मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कार्यान्वयन साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण उपाय है और वर्तमान परिदृश्य में, जहां सभी सरकारी प्रणालियों को ऑनलाइन लाया जा रहा है और साइबर हमलों के मामले बढ़ रहे हैं, यह और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यद्यपि पेंशन प्रोसेसिंग के सभी स्तरों पर एमएफए महत्वपूर्ण है, एकल आहरण एवं संवितरण अधिकारी के स्तर पर सुरक्षा स्वामी के भारी प्रभाव के कारण यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

---

[45] सा.न्या.एवं अ.वि. की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए मार्च 2020 तक आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी थे। अप्रैल 2020 से अतिरिक्त निदेशक, पेंशन (सा.न्या.एवं अ.वि.) को आहरण एवं संवितरण अधिकारी बनाया गया है।

[46] 30 अप्रैल 2020 से

2.10.2 पासवर्ड साझा करना

राजस्थान सरकार की आईटी नीति 2015 के पैरा 6.6 (B) (b) और (E) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को विशिष्ट यूजर आईडी प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपने काम के लिए स्वयं जिम्मेदार हों। लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि आईटी नीति का उल्लंघन कर तीनों स्तरों अर्थात सत्यापन, स्वीकृति और पेंशन भुगतान के अधिकारी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्रोसेसिंग से संबंधित कार्यों के निपटान के लिए अपने अधीनस्थों के साथ अपने राजएसएसपी यूजर आईडी/पासवर्ड साझा कर रहे थे। यह पेंशन नियमों का भी उल्लंघन है जो पेंशन प्रोसेसिंग के प्रत्येक चरण के लिए विशिष्ट प्राधिकार निर्धारित करते हैं।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि संबंधित अधिकारी अपने राजएसएसपी पोर्टल पासवर्ड के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं और पासवर्ड साझा न करने के निर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं।

2.10.3 सॉफ्टवेर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एसआरएस) का अद्यतन

एसआरएस, विकसित किए जाने वाले सॉफ्टवेयर/सिस्टम से जुड़ी विभिन्न आवश्यकताओं के सस्त मूल्यांकन पर आधारित सॉफ्टवेयर/सिस्टम का एक व्यापक विवरण है। इसमें सॉफ्टवेयर के विकास, संचालन, गुणवत्ता आश्वासन और रखरखाव के विवरण शामिल हैं और यह इस प्रकार सॉफ्टवेयर और उसके अपेक्षित प्रदर्शन का एक संरचित ढांचा प्रदान करता है। चूंकि प्रौद्योगिकी परिदृश्य परिवर्तनशील है और नीतियों/कानूनों/नियमों में परिवर्तन के कारण प्रणालीगत संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए सॉफ़्टवेयर/सिस्टम की आवश्यकताओं और प्रदर्शन के आवधिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर सॉफ़्टवेयर/सिस्टम का रूपांतरण करने के लिए एसआरएस को अद्यतन किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी (अक्टूबर 2020) के आधार पर यह देखा गया कि राजएसएसपी का उपलब्ध एसआरएस दस्तावेज संस्करण 1.1 था जिसे वर्ष 2011 में अंतिम रूप दिया गया था। पेंशन प्रोसेसिंग में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों सहित बाद के सभी परिवर्तन और राजएसएसपी की भुगतान प्रक्रिया एसआरएस में बदलाव किए बिना ही की गई थी।

एसआरएस का अद्यतन किए बिना इस तरह के बदलाव करना उभरती आवश्यकताओं के आवधिक और व्यवस्थित मूल्यांकन, पुरानी सुविधाओं और प्रौद्योगिकी और डिजिटल सुरक्षा वातावरण में बदलावों के कारण आवश्यक प्रणालीगत परिवर्तनों की कमी की ओर भी इशारा करता है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2021) और कहा कि राजएसएसपी में समय-समय पर आवश्यकताओं के आधार पर संशोधन किए जाते हैं।

समापन परिचर्चा के दौरान राज्य सरकार ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि एसआरएस को अद्यतन कर दिया गया है । नवीनतम एसआरएस की एक प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई (सितम्बर 2021)।

यद्यपि एसआरएस लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर दस वर्षों की अवधि के बाद अद्यतन किया गया है, राज्य सरकार परिवर्तनों का उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के लिए एसआरएस के अद्यतन को राजएसएसपी की परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाने पर विचार कर सकती है जो पोर्टल में परिवर्तन/अद्यतन से उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या की पहचान करने और उसका समाधान करने में उपयोगी साबित हो सकता है ।

2.10.4 बिजनेस कन्टीन्यूटी प्लान एवं डिजास्टर रिकवरी प्लान

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी 'राज्य डेटा केंद्र के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता के लिए दिशानिर्देश' के अनुसार राज्यों को राज्य डेटा केंद्र (एसडीसी) के लिए डिजास्टर रिकवरी प्लान (आपदा पुनर्प्राप्ति योजना) और बिजनेस कन्टीन्यूटी प्लान (कार्य निरन्तरता योजना) स्थापित करने की आवश्यकता है । बिजनेस कन्टीन्यूटी प्लान (बीसीपी) आपदा/आपातकाल की स्थिति में पूर्व निर्धारित स्वीकृत स्तर पर काम करने तथा बाद में सामान्य कार्यों को पुनरारंभ करने की रूपरेखा प्रदान करता है । इसमें डिजास्टर रिकवरी प्लान (डीआरपी) शामिल है जिसे किसी व्यवधान/आपदा के बाद सिस्टम/डेटा की रिकवरी में संगठन की सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है । इन योजनाओं का अस्तित्व संगठन के सिस्टम और डेटा के सामने आने वाले खतरों जैसे आग की घटना, बाढ़, साइबर हमले आदि के लिए तैयारियों का प्रतिबिंब है ।

एसडीसी के भौतिक सत्यापन के दौरान विभाग ने बताया कि राजएसएसपी के लिए बीसीपी और डीआरपी तैयार कर लिए गये हैं और डेटा की बैकअप प्रतियां लेने के लिए जोधपुर में एक डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर स्थापित किया गया है । तथापि मांगे जाने पर इन योजनाओं के दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए (दिसम्बर 2021)।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि बीसीपी/डीआरपी वर्तमान में सक्रिय नहीं हैं और जल्द ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । समापन परिचर्चा के दौरान राज्य सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2021) कि शीघ्र ही बीसीपी/डीआरपी को सक्रिय कर दिया जाएगा । इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसंबर 2021)।

बीसीपी/डीआरपी के कार्यान्वयन की कमी लाभार्थियों के डेटा और पेंशन प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जा रही प्रणालियों को आपदाओं के कारण सेवाओं में रुकावट के प्रति संवेदनशील बनाती है ।

2.10.5 राजएसएसपी में एप्लिकेशन कन्ट्रोल

एप्लिकेशन कन्ट्रोल्स आईटी सिस्टम में सम्मिलित किए गए वे उपाय हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि डेटा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट पूर्ण, सटीक और वैध हैं। एप्लिकेशन कन्ट्रोल्स में पूर्णता और वैधता जांच, इनपुट कन्ट्रोल, प्रोसेसिंग योग का संतुलन, त्रुटि रिपोर्टिंग आदि सम्मिलित हैं।

(क) इनपुट कन्ट्रोल्स

(i) किसी एप्लिकेशन में, कुछ डेटा फील्ड्स को अनिवार्य निर्दिष्ट करना एक महत्वपूर्ण इनपुट कन्ट्रोल है जो यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम में एप्लिकेशन द्वारा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध है। एनआईसी के एसएसओ लॉगिन यूजर्स मैनुअल[47] में राजएसएसपी के लिए वार्षिक आय, धर्म, पिन कोड, नाम, पिता / पति का नाम आदि जैसे अनिवार्य फील्ड्स[48] का प्रावधान है। ये अनिवार्य फील्ड्स राजएसएसपी को उन सभी लाभार्थियों के उन डेटा फील्ड्स को प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं जो पेंशन नियम 2013 के अनुपालन में पेंशन आवेदनों के प्रोसेसिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं।

राजएसएसपी डेटा डंप के विश्लेषण में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त 20,99,362 आवेदन जिन्हें बाद में स्वीकृत किया गया, में से 9,65,921 मामलों (46.01 प्रतिशत) में *'वार्षिक आय'* फील्ड रिक्त छोड़ दिया गया था और 99,121 मामलों (4.72 प्रतिशत) में *'पिन कोड'* फील्ड रिक्त छोड़ दिया गया था जबकि ये दोनों फील्ड्स अनिवार्य थे। यह इंगित करता है कि सिस्टम यह सुनिश्चित करने में असमर्थ है कि सभी अनिवार्य फील्ड्स भर दिए गये हैं।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (सितम्बर 2021) कि राजएसएसपी में *'वार्षिक आय'* फील्ड को हटा दिया गया है और अब आवेदक द्वारा केवल स्व-घोषणा की आवश्यकता है तथा *'पिन कोड'* फील्ड केवल मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिए आवश्यक है।

(ii) सीएमईएनएसपीएस के 42,995 लाभार्थी (557-तलाकशुदा, 42,143-विधवा और 295-परित्यक्त) जिनकी पेंशन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान स्वीकृत की गई थी, में से 9,602 मामलों[49] (22.33 प्रतिशत) में यह पाया गया कि "*हजबेंड डाइवोर्स इश्यूइंग ऑथोरिटी*" फील्ड में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की गई थी जैसा कि **अनुच्छेद 2.3** में दर्शाया गया है। ऐसे मामलों का स्क्रीनशॉट ***परिशिष्ट ट*** में दिया गया है।

---

[47] https://ssp.rajasthan.gov.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर उपलब्ध

[48] चूंकि इन क्षेत्रों को लाल तारांकन से चिह्नित किया गया है जो अनिवार्य जानकारी का सूचक है।

[49] 2550 मामलों में फील्ड खाली छोड़ा गया और 7052 मामलों में संख्यात्मक मान/विशेष वर्ण भरा गया।

यह दर्शाता है कि सिस्टम ने पेंशन नियमों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों/सूचनाओं के अभाव में भी ऐसी पेंशनो के आवेदन, आवेदनों की प्रोसेसिंग और स्वीकृति की अनुमति दी । इस फील्ड को इस योजना के तहत पेंशन के आवेदन के लिए अनिवार्य बनाया जा सकता है ।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि आवेदक के विवरण जैसे वैवाहिक स्थिति आवेदन के समय जन-आधार डेटाबेस से प्राप्त किए जाते हैं और चूंकि जन-आधार की जानकारी सत्यापित है, इसलिए इसे पुनः सत्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन के समय लाभार्थियों के मूल जनसांख्यिकीय विवरण, वैवाहिक स्थिति सहित, जन-आधार डेटाबेस से प्राप्त किए जाते हैं । तथापि, यह सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है कि पेंशन की स्वीकृति के लिए अन्य आवश्यकताएं, जैसे वैवाहिक स्थिति के समर्थन में पेंशन नियमों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों को पूरा किया गया है और संबंधित जानकारी राजएसएसपी पर प्रदान की गई है ।

(iii) डेटा विश्लेषण से यह भी पता चला कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लाभार्थियों द्वारा दायर की गई 17,921 शिकायतों/प्रश्नों/परिवेदनों में से 575 प्रकरणों (3.21 प्रतिशत) में परिवाद /शिकायतें बिना विवरण के दर्ज की गई थी । ऐसी शिकायतों का स्क्रीनशॉट ***परिशिष्ट ठ*** में दिखाया गया है ।

शिकायतों को दर्ज करने के लिए विवरण को एक अनिवार्य फील्ड बनाया जा सकता है जिससे कि सिस्टम विवरण के बिना शिकायतों/परिवेदनों को दर्ज करने की अनुमति नहीं दें क्योंकि विवरण के अभाव में विभाग के लिए समाधान प्रदान करना या दर्ज की जा रही शिकायतों की प्रवृत्ति और प्रकृति का विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता है ।

मामला राज्य सरकार को इंगित किया गया (जुलाई 2021)। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 2021) कि शिकायतों/परिवेदनों/प्रश्नों को दर्ज करते समय विवरण को अनिवार्य फील्ड बनाने के लिए कार्यवाही की जाएगी ।

इन उदाहरणों से पता चलता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम में दर्ज की गई जानकारी वैध, सटीक और पूर्ण है, इनपुट कन्ट्रोल्स को मजबूत करने की गुंजाइश है ।

(ख) प्रोसेसिंग कन्ट्रोल्स

प्रोसेसिंग कन्ट्रोल्स यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्वचालित साधन प्रदान करते हैं कि सिस्टम में दर्ज किए गए डेटा का प्रोसेसिंग पूर्ण, सटीक और अधिकृत है । राजएसएसपी डेटा और रिपोर्टों के विश्लेषण से ऐसे उदाहरण मिले जहां प्रोसेसिंग नियंत्रणों की कमियों का पता चला जैसा कि नीचे बताया गया है:

(i) सिस्टम को उपलब्ध जन्म तिथि से लाभार्थी की आयु की गणना करनी चाहिए और ऐसे

आवेदनों की प्रोसेसिंग को रोकना चाहिए जहां लाभार्थी आयु मानदंड को पूरा नहीं करता है । तथापि, लाभार्थी की न्यूनतम निर्धारित आयु प्राप्त किए बिना भी पेंशन आवेदनों को प्रोसेस और स्वीकृत किए जाने के प्रकरण देखे गए, जैसा कि **अनुच्छेद 2.4** में दर्शाया गया है ।

(ii) सिस्टम में पेंशन आवेदनों की स्वतः स्वीकृति का प्रावधान होने के बावजूद भी पेंशन आवेदनों के सत्यापन और स्वीकृति में देरी हुई थी जैसा कि **अनुच्छेद 2.2** में बताया गया है ।

पर्याप्त और प्रभावी प्रोसेसिंग कन्ट्रोल्स विभाग को योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आसानी से पता लगाने, हल करने और कम करने में सुविधा प्रदान करेगा ।

(ग) आउटपुट कन्ट्रोल्स

आउटपुट कन्ट्रोल्स यह सुनिश्चित करते हैं कि सिस्टम द्वारा प्रदान की गई जानकारी पूर्ण, वैध और सटीक है । वे यह भी जांचते हैं कि सिस्टम से प्राप्त सूचना अपेक्षित/मांगी गयी जानकारी है और सिस्टम में उपलब्ध अन्य सूचनाओं से प्रमाणित होती है । सिस्टम के आउटपुट कन्ट्रोल्स में निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

(i) राजएसएसपी डेटा के विश्लेषण से लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित 2,73,653 मामलों का पता चला, जहां राजएसएसपी भुगतान रिपोर्ट (ओएपी 7) की भुगतान जानकारी में टी वी संख्या का उल्लेख नहीं था, जिसका अर्थ यह है कि इन मामलों में भुगतान के बिल रद्द कर दिए गए थे । तथापि, भुगतान रिपोर्ट गलत सूचना दिखा रही थी कि इन मामलों में पेंशन का भुगतान किया गया था । ***परिशिष्ट ङ*** के स्क्रीनशॉट में एक उदाहरणात्मक प्रकरण दिखाया गया है ।

अतः राजएसएसपी द्वारा प्रदान की गई भुगतान जानकारी सही नहीं थी । राजएसएसपी की भुगतान रिपोर्ट आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बिलों के पारित होते ही पेंशन को भुगतान के रूप में दर्शाती है । तथापि, ऐसे बिलों को ई-कुबेर[50] द्वारा विभिन्न कारणों जैसे कि ई-भुगतान फाइल में गलत आईएफएससी[51] के कारण अस्वीकार किया जा सकता है । इसलिए राजएसएसपी पर भुगतान रिपोर्ट का अद्यतन ई-कुबेर से सफल/असफल लेनदेन की पुष्टि प्राप्त होने पर किया जाना चाहिए, न कि बिलों के पारित होने पर ।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2021) कि पूर्व में राजकोष के साथ राजएसएसपी का उचित लिंक नहीं था जिसके कारण कुछ मामलों के लिए टी वी संख्या उपलब्ध नहीं थी । वर्तमान में सभी पेंशन भुगतानों में टी वी संख्या अंकित की जा रही है ।

---

[50] ई-कुबेर भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बै.) का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) है ।

[51] भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड

हालांकि, लेखापरीक्षा जाँच (अगस्त 2021) से पता चला कि जुलाई 2021 में भी, राजएसएसपी की पेंशन भुगतान रिपोर्ट के कुछ मामलों में लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान दिखाया गया है जहां टी वी संख्या उपलब्ध नहीं है (***परिशिष्ट ढ***)। इससे पुष्टि होती है कि राजएसएसपी के आउटपुट कन्ट्रोल्स में कमी बनी हुई है । इसके अलावा, ई-कुबेर से प्राप्त संव्यवहार की पुष्टि के बजाय बिलों के पारित होने पर भुगतान रिपोर्ट को अद्यतन करने के बारे में प्रत्युत्तर मौन है ।

राज्य सरकार ने बाद में अवगत कराया (अगस्त 2021) कि भुगतान उन मामलों में किया जाता है जहां टी वी संख्या प्रदर्शित है और जिन मामलों में टी वी संख्या उपलब्ध नहीं है, वहां कोई भुगतान नहीं किया गया है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कुछ लाभार्थियों की भुगतान रिपोर्ट[52] की नमूना जांच (सितंबर 2021) से पता चला कि पेंशन भुगतान उन मामलों में भी प्रदर्शित हो रहा है जहां टी वी संख्या उपलब्ध नहीं थी ।

(ii) लेखापरीक्षा के दौरान राजएसएसपी की दो अलग-अलग रिपोर्टों के बीच सूचना के बेमेल होने के मामले भी देखे गए थे । उदाहरण के लिए राजएसएसपी की *'सर्विस गारंटी रिपोर्ट'* में प्रथम भुगतान की तारीखें उन्हीं मामलों के लिए राजएसएसपी भुगतान रिपोर्ट *'ओएपी 7'* में दर्शाई गई पेंशन के प्रथम भुगतान के भुगतान की तारीखों से अलग थीं । ***परिशिष्ट ण*** में दिये गये स्क्रीनशॉट में उदाहरणात्मक प्रकरण दिखाया गया है ।

आगे की जांच से पता चला कि *'सर्विस गारंटी रिपोर्ट'* की जानकारी को इस तरह से दिखाया गया था कि वह राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हो, जबकि राजएसएसपी की ओएपी-7 रिपोर्ट में भुगतान के लिए बिलों के पारित होने की तिथि दर्शाई गई थी । इन रिपोर्टों में दी गई जानकारी विरोधाभासी थी ।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि प्रथम भुगतान के संबंध में लोक सेवा गारंटी रिपोर्ट पर उपलब्ध तिथि वास्तव में पेंशन के प्रथम भुगतान की देय तिथि है जो माह का पहला दिन है जबकि प्रथम पेंशन का वास्तविक भुगतान अगले महीने किसी भी दिन किया जाता है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लोक सेवा गारंटी रिपोर्ट सूचना को *'प्रथम भुगतान तिथि'* के रूप में प्रदर्शित करती है । इसके अलावा, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के आधार पर, लोक सेवा गारंटी रिपोर्ट में सेवा की देय तिथि के बजाय जिस तिथि पर लाभार्थी को सेवा प्रदान की जाती है की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए ।

[52] राजएसएसपी की ओएपी 7

उपर्युक्त मामले दर्शाते हैं कि राजएसएसपी द्वारा प्रदान की जा रही आउटपुट जानकारी कुछ मामलों में गलत थी ।

सारांश

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पेंशन आवेदनों की स्वीकृति में काफी विलम्ब था जिस पर राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद सुधारात्मक कार्यवाही की । विभाग ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना सीएमईएनएसपीएस के तहत पेंशन स्वीकृत की । ऐसे आवेदकों को पेंशन स्वीकृत की गई, जिन्होंने आवेदन की तिथि पर पात्रता की न्यूनतम आयु प्राप्त नहीं की थी और कुछ प्रकरणों में पेंशन की स्वीकृति की तारीख तक भी न्यूनतम आयु प्राप्त नहीं की और कुछ अन्य प्रकरणों में पात्र आवेदकों के आवेदन खारिज कर दिए गए थे, जो निगरानी की विफलताओं को दर्शाता है । निर्धारित अधिकारियों के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे सत्यापन के साथ भौतिक सत्यापन की प्रणाली में अनियमितताएं पाई गई, मृत लाभार्थियों को 'जीवित' के रूप में सत्यापित किया गया, गलत तरीके से 'मृत' घोषित होने पर जीवित लाभार्थियों की पेंशन रोकी गई और सत्यापन के दौरान अपात्र पाए गए आवेदकों को बाद के भुगतानों के लिए सत्यापित के रूप में चिह्नित किया गया । स्वतः स्वीकृत आवेदनों की अनिवार्य पश्च-लेखापरीक्षा नहीं की गई थी तथा अपात्र स्वतः स्वीकृत आवेदनों को पेंशन के भुगतान के प्रकरणों में वसूली लम्बित थी । सभी पात्र विधवा लाभार्थियों को उच्च दरों पर पेंशन प्राप्त करने के लिए सीएमओएएसपीएस से सीएमईएनएसपीएस में स्थानांतरित नहीं किया गया था तथा *'परित्यक्ता'* और *'तलाकशुदा'* लाभार्थियों के लिए भी इस तरह की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी । लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में निर्धारित सूचना प्रवाह तंत्र गैर-कार्यात्मक था तथा ऐसी सूचनाओं के प्रवाह के लिए समय-सीमा भी निर्धारित नहीं की गई थी ।

राजएसएसपी के प्रणालीगत मुद्दे जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की कमी, पासवर्ड साझा करना, सिस्टम रिकवायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अद्यतन की कमी और बिजनेस कन्टीन्यूटी प्लान/डिजास्टर रिकवरी प्लान के कार्यान्वयन की कमी को देखा गया । राजएसएसपी के इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट कन्ट्रोल्स में कमियां पाई गई ।

अनुशंसाएं:

- *पेंशन नियमों को जन-आधार के अनुरूप किया जाए क्योंकि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पात्रता सबंधी जानकारी जन-आधार से प्राप्त की रही है ।*
- *राजएसएसपी में एक ऐसी विशेषता सम्मिलित की जाए जो जन-आधार डेटाबेस में लाभार्थी के पात्रता सम्बन्धी विवरणों के संशोधन से जुड़े मामलों को विभाग द्वारा आगे की जांच के लिए उजागर करे ।*
- *गलत सत्यापन और स्वीकृति के मामलों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए भौतिक*

सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाएं।

- *वार्षिक भौतिक सत्यापन की प्रणाली में प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों की पात्रता का व्यापक मूल्यांकन और बैंक खाता संख्या जैसे मूलभूत विवरणों का सत्यापन सम्मिलित किया जाए।*
- *राजएसएसपी पर पात्र लाभार्थियों के सीएमओएएसपीएस से सीएमईएनएसपीएस में स्वतः स्थानान्तरण की सुविधा लागू हो और इस सुविधा को 'विधवाओं' के अलावा 'परित्यक्ता' और 'तलाकशुदा' लाभार्थियों तक भी पहुँचाया जाए। सीएमईएनएसपीएस में स्थानान्तरण के लिए पात्र सीएमओएएसपीएस के लाभार्थियों के सम्बन्ध में राजएसएसपी पर एक एमआईएस रिपोर्ट ऐसे स्थानान्तरणों में किसी भी बकाया की निगरानी के लिए सहायक हो सकती है।*
- *यह सुनिश्चित किया जाए कि शेष लाभार्थियों की जन-आधार आईडी राजएसएसपी पर अद्यतन की गई है और सभी पीपीओ को समयबद्ध तरीके से जन-आधार आईडी से जोड़ा जाए ताकि राजएसएसपी डुप्लीकेट लाभार्थियों तथा दोहरे भुगतान के मामलों का पता लगाने और उन्हें रोकने में सक्षम हो।*
- *डेटा सुरक्षा, सटीकता, वैधता सुनिश्चित करने और योजनाओं के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन में राजएसएसपी की क्षमता को बढ़ाने के लिए राजएसएसपी के एप्लीकेशन कन्ट्रोल्स में खामियों को दूर करने के प्रयास किये जाएं।*
- *विभाग के आईटी सिस्टम में डेटा की वैधता, अखंडता और सुरक्षा जैसे पहलुओं की समर्पित और केंद्रित तरीके से निगरानी और प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जा सकता है।*